न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : राजेश कुमार नायक, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 58/2018
निर्णय दिनांक :

1. ग्राम पंचायत भापुरा जरिये सरपंच नेमीचन्द बैरवा पता ग्राम पंचायत भापुरा पंचायत समिति सांगानेर जयपुर।

प्रार्थी

वनाम

1. जगदीश पुत्र नाथू जाति जाट निवासी ग्राम चतरपुरा तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
2. बाबूलाल पुत्र नाथू जाति निवासी ग्राम चतरपुरा तह0 सांगानेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर पता तहसील कार्यालय सांगानेर जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थन पत्र बाबत् पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि गै0मु0 शमशान भूमि हाल खसरा नम्बर 477 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 478 रकबा 0.18 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.26 हेक्टेयर वाके ग्राम चतरपुरा तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है, जिसका सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2018 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय व श्रीमान उप तहसीलदार के दस्ती कैम्प भापुरा दिनांक 11/6/2018 की पालना में महराह पटवारी हल्का भापुरा व अजयराजपुरा के साथ खसरा नम्बर 477 व 478 गै0म0 शमशान के मौके पर पहुंचा। मौके पर ग्रामवासी व उपस्थित मोतविरान के समक्ष खसरा नम्बर 487 गै0मु0 चाह से जरीब चलाकर खसरा नम्बर 477 व 478 की सीमाज्ञान कायम की गई। फर्द मौका तैयार कर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर / अगुठा कराये गये। पडौसी काश्तकार ने हस्ताक्षर करने से मना किया। शमशान की भूमि पर पडोसी काश्तकारा अप्रार्थी संख्या एक व दो अपनी बताकर उस पर कब्जा करना चाहते है आये दिन सीमा पर हमेशा विवाद करते है तथा मौक्षधाम के क्रियाक्रमो में बाधा कारित करते है इस कारण शमशान भूमि का सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी उक्त शमशान भूमि पर सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे प्रार्थी उक्त शमशान भूमि के चारो तरफ पुख्ता बाउण्डरी कर ग्राम चतरपुरा के हितार्थ सुरक्षित कर सके जिससे ग्राम में किसी प्रकार का शमशान भूमि पर विवाद नही हो तथा ग्राम वासियों में भाईचारा बना रहे। इसलिये सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:51:21 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया ज[illegible]र्थीगण को दिनांक 08.08.2018 को नोटिस जारी किये [illegible] को प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित, अप्रार्थी संख्या एक व [illegible] गोगराज चौधरी ने वकालतनामा पेश किया, वास्ते जवाब आगामी तारीख [illegible] 20.06.2019 नियत की गई। दिनांक 17.12.2021 को पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरीकेन उपस्थित, प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा आज दिनांक तक कोई जवाब

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रस्तुत नही किया है। जवाब का अवसर बन्द किया जाव एवं प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर सीमाज्ञान व पत्थरगढी को आदेश किय जावे।

हमने प्रार्थना पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा काफी समय से जवाब प्रस्तुत नही किया गया। इसलिये अप्रार्थीगण का जवाब अवसर बन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण का जवाब अवसर बन्द किया जाकर बहस वकुलाय फरिकेन सुनी गयी। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की ग्राम चतरपुरा तह0 सांगानेर जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 477 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 478 रकबा 0.18 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.26 हेक्टेयर का तहसील सांगानेर की सीमाज्ञान फर्द मौका–रिपोर्ट आदेश दिनांक 26.06.2018 के अनुसार जरिये पुलिस इमदाद पुख्ता सीमाचिन्ह कायम करें।

निर्णय आज दिनांक .... खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश कुमार नायक)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.31 16:31:21 IST
Reason: SelfAttested